सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर0ए0एस0
अपील प्रकरण सं0 13/2018

1. विनोदकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 14 एस.पी.एम. तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये उप तहसीलदार (राजस्व) लालगढजाटान तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

रेस्पोडेन्टस

उपस्थित :
1.श्री मोहनलाल माहर , अधिवक्ता, अपीलार्थी
2.राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

आदेश **दिनांक :–30.05.2018**

प्रस्तुत अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना क्षेत्राधिकार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत पारित किया गया है। हल्का पटवारी गोधुवाली के जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.01.2018 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 22 राज0 उप0 अधिनियम का दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने बिना किसी नोटिस की तामिल की वैद्यता को देखते सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना किये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस कभी भी अपीलार्थी को तामिल नहीं किया और ना ही सम्मन कभी टेण्ट्रेट किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके चक 14 एसपीएम के मु.न. 46 के किला नम्बर 8 ता 25 , मु.न. 5 के किला नम्बर 1 ता 11 व 21 ता 25 रकबा खातेदारी है जो आबादी से चिपते हुए। मु.न. 46 व मु.न. 5 आमने सामने है। भूमि का सीमा विवाद होने से अपीलार्थी ने मौका की पैमाईश करवाई तो पत्थर के निशान के आधार पर रास्ता की सीमा गलत पाई गई। मु.न. 46 के किला नम्बर 21,22,23 पर कोई अवैध कब्जा नहीं था बल्कि मौका पर किसी भी ग्रामवासी को रास्ता के सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं किया क्योंकि मौके पर रास्ता 17 फीट पर शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से कानून की विहित प्रक्रिया की पालनाा नहीं की , कुर्की आदेश पारित करने से पूर्व अतिक्रमी को 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अतिक्रमण हटाने का अवसर प्रदान किया और ना ही नोटिस की तामिल कानूनन करवाई गई। अपीलार्थी द्वारा कोई भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि प्रश्नस्पद भूमि अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर अपीलार्थी का साधिकार (Low full Possession) है। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.01.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अति.जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

अपील से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया है कि हल्का पटवारी गोधुवाली के जांच प्रतिवेदन दिनांक 04.01.2018 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण धारा 22 राज0 उप0 अधिनियम का दर्ज कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अदालत ने बिना किसी नोटिस की तामिल की वैद्यता को देखते सीधे ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से बिना किसी कानूनी प्रक्रिया की पालना किये पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस कभी भी अपीलार्थी को तामिल नहीं किया और ना ही सम्मन कभी टेण्ट्रेट किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वाके चक 14 एसपीएम के मु.न. 46 के किला नम्बर 8 ता 25 , मु.न. 5 के किला नम्बर 1 ता 11 व 21 ता 25 रकबा खातेदारी है जो आबादी से चिपते हुए। मु.न. 46 व मु.न. 5 आमने सामने है। भूमि का सीमा विवाद होने से अपीलार्थी ने मौका की पैमाईश करवाई तो पत्थर के निशान के आधार पर रास्ता की सीमा गलत पाई गई। मु.न. 46 के किला नम्बर 21,22,23 पर कोई अवैध कब्जा नहीं था बल्कि मौका पर किसी भी ग्रामवासी को रास्ता के सम्बन्ध में कोई एतराज नहीं किया क्योंकि मौके पर रास्ता 17 फीट पर शान्ति पूर्वक चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से कानून की विहित प्रक्रिया की पालनाा नहीं की , कुर्की आदेश पारित करने से पूर्व अतिक्रमी को 15 दिवस के भीतर अतिक्रमण हटाने का अवसर दिया जाना आज्ञापक प्रावधान है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अतिक्रमण हटाने का अवसर प्रदान किया और ना ही नोटिस की तामिल कानूनन करवाई गई। अपीलार्थी द्वारा कोई भी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया बल्कि प्रश्नस्पद भूमि अपीलार्थी की खातेदारी कृषि भूमि है जिस पर अपीलार्थी का साधिकार (Low full Possession) है। लिहाजा अपील स्वीकार की जाकर इन्तकाल नम्बर 119 दिनांक 04.05.2012 को निरस्त करने का आदेश फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों के आलोक में गहनता से अवलोकन किया। नायब तहसीलदार लालगढजाटान द्वारा पटवार हल्का गोधूवाली की रिपोर्ट दिनांक 04.01.2018 जिसके द्वारा पटवार हल्का गोधूवाली ने अंकित किया है कि चक 14 एस.पी.एम. के मु.न. 46 के किला नम्बर 21 ता 25 प्रत्येक में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड 0.025 है–0.025 हैक्टर गै.मु. रास्ता दर्ज है। उक्त रास्ता में से मु.न. 46 के किला नम्बर 21 में 0.019 हैक्टर सरसो नहरी, किला नम्बर 22 में 0.019 हैक्टर सरसों नहरी व किला नम्बर 23 में 0. 013 हैक्टर सरसों नहरी कुल 0.051 हैक्टर सरसों नहरी फसल काश्त नाजायज रूप से की है। रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर कुल 0.051 हैक्टर सरसों नहरी की फसल विनोदकुमार पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी 14 एस.पी.एम द्वारा नाजायज काश्त की गई इसकी पुष्टि खसरा परिवर्तन ग्राम 14 एसपीएम (प्रपत्र–पी–14) सम्वत् 2074 से होती है। नायब तहसीलदार लालगढजाटान के प्रकरण संख्या 01/2018 अनवानी सरकार बनाम विनोदकुमार धारा 22 राज0 उप0 अधिनियम में सलंग्न नोटिस जो अपीलार्थी को जारी किया गया है, में तामिल कुन्निदा श्री शिवचरण की रिपोर्ट में अंकित किया है कि सायल मोके पर नहीं मिला, एक प्रति सायल के आबाद मकान पर चस्पा कर रिपोर्ट सेवा में पेश है। यह नोटिस सम्यक तामील हुआ है परन्तु इसमें जो तारीख भूमि को खाली करने की दी गई है उससे पूर्व ही कुर्की के आदेश दिए गए है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत के विरूद्व है। दिनांक 30.01.

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

2018 को आगामी तारीख पेशी पर नोटिस बाद तामील – अपीलार्थी अनुपस्थित रहा इसलिए जो निर्णय किया है वह सही है। इस निर्णय की पालना में आई.एल.आर. ने कुर्क शुदा फसल को जेरिये फर्द नीलामी दिनांक 28.02.2018 को नीलामी पूर्ण कर अपनी पालना रिपोर्ट दिनांक 05.03.2018 को न्यायालय में पेश कर दी। हस्तगत प्रकरण उसी रोज दिनांक 05.03.2018 को न्यायालय हाजा में विचारार्थ लिया जाकर स्थगन आदेश जारी किया। इससे पूर्व ही अपीलाधीन निर्णय की पालना हो चुकी थी। अपीलार्थी स्वयं मय वकील ने आज न्यायालय में उपस्थित होकर स्वीकार किया है कि मौके पर गै0मु0 रास्ता है और उस पर जरिये काश्त अतिक्रमण है जो हटा लिया जाएगा। अतः अपील खारिज की जाकर आदेश दिये जाते है कि तहसीलदार सादुलशहर रास्ता की निशानदेही अपीलार्थी की उपस्थिति में दे दे और तदनुसार प्रार्थी रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण तत्समय हटा दे। आदेश की प्रति तहसीलदार सादुलशहर एवं नायब तहसीलदार (राजस्व) लालगढजाटान को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं रिकॉर्ड लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 30.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

30/5/18

(नखतदान बारहठ)
अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर।